न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

य मिसल संख्या/नयाबत /16/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम ।

श्री जगदीशप्रसाद, फूलचन्द पुत्रान गोकुलचन्द जाति कुम्हार निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

निर्णय दिनांकः– 07 अक्तूबर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि ख0न0 1988 के रकबा 0.84 है0 में से रकबा 100 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन रड़ड़ा में बाड़ लगाकर श्री जगदीशप्रसाद, फूलचन्द पुत्र गोकुलचन्द जाति कुम्हार के द्वारा अतिकमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिकमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उनके द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पर उनका कब्जा 20–22 वर्षो से चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नही बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नहीं है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नही हुये है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा= 50/ रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दप्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirshan Singh
Date: 2021.02.18 13:23:30 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज.)

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021
पृष्ठ नं. 6 — 50/
कायम की गई।
लेखाकार
दि. 24-12-20